चिकित्सा शिक्षा नीति एवं चिकित्सा शिक्षा

14 अध्याय

प्रस्तावना

केन्द्र द्वारा चिकित्सा और दंत शिक्षा के मानकों की निगरानी करनेतथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए, प्रशिक्षण और शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए नियामक निकायों की स्थापना की गई है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि देश में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तरों पर स्वास्थ्य उपचार सुपुर्दगी प्रणाली की अपेक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से आवश्यक चिकित्सा एवं परा–चिकित्सा कार्मिक शक्ति तैयार की जाती रहे। विभिन्न निकायों और संस्थाओं द्वारा संचालित इन गतिविधियों की स्थिति पर चर्चा इस अध्याय में की गई है।

14.1 भारतीय चिकित्सा परिषद्

देश में चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों को बनाए रखने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा परिषद का गठन किया गया था। उक्त परिषद का मुख्य कार्य चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता के मामलों में केंद्रीय सरकार को सिफारिशें करना, ऐसी अर्हताओं को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित अध्ययन और परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों का निर्धारण करना, परीक्षाओं का निरीक्षण तथा चिकित्सा व्यावसायिकों के रजिस्टर का रख–रखाव इत्यादि।

उक्त परिषद की कार्य प्रणाली की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति सहित विभिन्न विशेषज्ञ निकायों द्वारा लंबे समय से जाँच की जाती रही थी, जिसने मार्च, 2016 में उक्त परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए थे। समिति ने सिफारिश की थी कि चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा व्यवसाय की विनियामक प्रणाली का पुनर्गठन करने, उसमें सुधार करने और भारतीय चिकित्सा परिषद को प्रतिस्थापित करने के लिए सरकार को शीघ्र ही संसद में एक व्यापक नया विधेयक लाना चाहिए। तदनुसार, दिसंबर, 2017 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2017 लोक सभा में पेश किया गया तथा वह अभी लंबित है।

तथापि, इस बीच उक्त अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके तहत बनाए गए विनियमों की उपेक्षा करते हुए उक्त परिषद द्वारा की गई मनमानी कार्रवाई तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिदेशित निगरानी समिति और केंद्रीय सरकार के निर्देशों को मानने से इंकार करने के मद्देनजर उक्त परिषद के स्थान पर एक वैकल्पिक तंत्र बनाने के लिए सरकार द्वारा तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता थी ताकि देश में चिकित्सा शिक्षा के अभिशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा गुणवत्ता लाई जा सके। अतः भारतीय चिकित्सा परिषद का अधिक्रमण करने और इसके कार्यों को एक वर्ष अथवा कोई अन्य व्यवस्था होने, इनमें जो भी पहले हो, तक शासी मंडल, जिसमें प्रतिष्ठित डॉक्टर होंगे, को सौंपने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, 26 सितंबर, 2018 को भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का 8) प्रख्यापित किया गया था और इस व्यवधानकाल के दौरान परिषद के कार्यों पर निष्पादन हेतु केंद्रीय सरकार ने शासी मंडल के गठन को अधिसूचित कर दिया था।

चिकित्सा शिक्षा में सुधार लाने के लिए वर्ष के दौरान लिए गए नीतिगत महत्वपूर्ण निर्णयः

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक में किए गए आधिकारिक संशोधनों को विचारार्थ तथा पारित करने हेतु लोक सभा को भेजा गया। विधेयक को संसद के बजट, मानसून तथा शीतकालीन सत्र 2018 तथा बजट सत्र 2019 के दौरान संसद के विधायी कार्य में भी सूचीबद्ध किया गया था। फिर भी, इसे विचार

के लिए नहीं लाया जा सका। विधेयक लोक सभा में लंबित है।

- तदनुरूप पाठ्यक्रम में मान्यता–प्राप्त डिप्लोमा सीटें लौटाकर स्नातकोत्तर डिग्री (एमडी/एमएस) की समान संख्या में सीटों की मांग करने के लिए मेडिकल कॉलेज/मेडिकल संस्थान को अधिकृत कर दिया गया है।
- स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु परामर्शन के दौरान सीट ब्लाक होने से रोकने हेतु नियम अधिसूचित किए गए हैं।
- दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए स्नातक–पूर्व/स्नातकोत्तर की 5 प्रतिशत मेडिकल सीटें भी आरक्षित की गई हैं।
- स्नातक–पूर्व/स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दिव्यांग व्यक्तियों के दाखिले के लिए दिशा–निर्देश अधिसूचित किए गए हैं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुमत्य स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा सीटों को समय से मान्यता दिला दी गई है और किसी कॉलेज में निरीक्षण के दौरान कोई कमी पाए जाने की स्थिति में आर्थिक दण्ड लगाए जाने का प्रावधान करने हेतु स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 में संशोधन किया गया है। कॉलेजों को एमबीबीएस बैचों के तीसरी और चौथी बार नवीकरण के समय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति दे दी गई है; शिक्षक–छात्र के अनुपात में छूट का गैर–सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों तक विस्तार कर दिया गया है। इससे देश में स्नातकोत्तर सीटों में बढ़ोत्तरी होगी।
- इससे स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए सेवारत डॉक्टरों के लिए सुदूर और/अथवा दुर्गम क्षेत्रों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए नीट–पीजी में प्राप्त किए गए अंकों के 10 प्रतिशत अंकों, जो अधिकतम 30 प्रतिशत होंगे, तक प्रोत्साहन अंकों की सीमा का निर्धारण करने के लिए राज्यों को लचीलापन भी उपलब्ध कराया गया है। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सेवारत सरकारी चिकित्सा अधिकारियों को मिलने वाले 50% सीटों के आरक्षण का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाकर चुके सरकारी चिकित्सा अधिकारियों को भी दिया जाने लगा है।
- अध्ययन अथवा प्रशिक्षण (अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए विनियमों में संशोधन किया गया है। इससे आवेदक मेडिकल कॉलेज को 200/250 तक की वार्षिक दाखिला क्षमता की वृद्धि करने के लिए एक वर्ष की छूट दी जाएगी तथा 10 वर्ष की अवधि की गणना केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने के उस वर्ष की तारीख से की जाएगी, जिस वर्ष अनुमति पत्र मंजूर किया गया है।
- स्नातकोत्तर (सुपर स्पेशियलिटी) पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आवेदन प्राप्त करने/दाखिला क्षमता में वृद्धि करने तथा आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए संशोधित समय–सीमा को अधिसूचित किया गया है।
- बिस्तर अधिभोग (अंतर्विभाग रोगी) और बहिरंग रोगी विभाग की उपस्थिति में 5% तक छूट देने हेतु न्यूनतम मानक मांग विनियम में इस शर्त के साथ संशोधन किया गया है कि तदनुरूप तारीखों को बिस्तर अधिभोग और ओपीडी की स्थिति पूर्ववर्ती तीन महीनों के आकलन की तारीख के अनुसार लागू मानकों के अनुसार है।
- डीएनबी (व्यापक विशेषज्ञता) को एमडी/एमएस के समतुल्य बनाने और डीएनबी (सुपर स्पेशियलिटी) को डीएम/एमसीएच के समतुल्य बनाने के लिए चिकित्सा संस्थान विनियमों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम अर्हताओं में संशोधन किया गया है।
- किसी विदेशी चिकित्सा संस्थान में स्नातक–पूर्व चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए पात्रता आवश्यकता में पात्रता मानदण्ड के लिए विनियम 2002 में संशोधन किया गया है। अब, नीट का परिणाम इसके घोषित होने की तारीख से तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जिससे अभ्यर्थी एमबीबीएस अथवा प्री–मेडिकल/भाषा पाठ्यक्रम, यदि कोई हो, सहित समकक्ष मेडिकल पाठ्यक्रम में दाखिला लेने तथा उसके पश्चात् एमबीबीएस अथवा समकक्ष चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए पात्र होगा।

14.2 मेडिकल कॉलेज

वर्तमान में, देश में 499 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें से 245 सरकारी तथा 254 निजी क्षेत्र में हैं, जिनकी वार्षिक दाखिला क्षमता लगभग 70,012 एम.बी.बी.एस छात्र एवं 34,926 स्नातकोत्तर छात्र प्रतिवर्ष है। इसके अलावा, डी.एन.बी. की 7273 सीटें हैं जो एम.डी./एम.एस. के समकक्ष होती हैं। एमबीबीएस/स्नातकोत्तर सीटों का ब्यौरा अनुलग्नक–1 और 2 में संलग्न है।

14.3 भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डी.सी.आई.)

भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् (डी.सी.आई.) की स्थापना एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का XVI) के प्रावधानों के तहत देश में दंत चिकित्सा शिक्षा, दंत चिकित्सा व्यवसाय एवं दंत चिकित्सा नीतिशास्त्र के मानकों को विनियमित करने और नए दंत चिकित्सा कॉलेज खोले जाने, अध्ययन के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने तथा दाखिला क्षमता में बढ़ोत्तरी किए जाने के संबंध में केन्द्र सरकार से संस्तुति करने के प्रमुख उद्देश्य से की गई थी। इस प्रयोजन से परिषद् द्वारा पाठ्यक्रमों की उपयुक्तता एवं दंत–चिकित्सा के शिक्षण हेतु उपलब्ध सुविधाओं का पता लगाने के लिए आवधिक निरीक्षण किया जाता है।

14.4 दन्त चिकित्सा कॉलेज

वर्तमान में, देश में 313 दंत चिकित्सा कॉलेज हैं, जिनमें से 49 सरकारी क्षेत्र में और 264 निजी क्षेत्र में हैं, जिनकी वार्षिक दाखिला क्षमता लगभग 26960 स्नातकपूर्व सीटों तथा 6288 स्नातकोत्तर सीटों की है। शैक्षिक वर्ष 2018–19 के दौरान 2 नए दंत चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना की अनुमति प्रदान की गई थी। वर्ष के दौरान एमडीएस की 55 सीटों की बढ़ोत्तरी की गई।

अन्य उपलब्धियां

भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के मौजूदा दंत चिकित्सा शिक्षा (सीडीई) विनियम, 2018 को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जा चुका है तथा वह 18.09.2018 से प्रभावी हो गया है, जिसमें "सीडीई" का अभिप्राय व्याख्यान, प्रदर्शन, व्यावहारिक अनुभव के रूप में की जाने वाली कोई कार्रवाई उस उद्देश्य के साथ दंत चिकित्सा व्यावसायिकों तथा परा–चिकित्सा स्टाफ के लिए प्रशिक्षण, जिसका उद्देश्य अग्रिम ज्ञान प्राप्त करना, उसमें सुधार करना, वृद्धि करना, महत्व देना तथा रोगी परिचर्या और व्यावसायिकता की बेहतरी के लिए दंत चिकित्सा व्यावसायियों के ज्ञान, कौशल और व्यवहार को प्रभावित करना है।

मुख संबंधी रोगों की वैश्विक प्रवृत्ति मुख कैंसरों की बढ़ती संख्या के साथ इसमें हो रहे आमूल परिवर्तन का साक्षी है, जिसके लिए केंद्रीय सरकार ने भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के सहयोग से तम्बाकू नियंत्रण केंद्र की शुरुआत की है, जिसमें मुख कैंसर की रोकथाम के लिए दंत चिकित्सा संस्थानों में तम्बाकू नियंत्रण क्लिनिकों की स्थापना करना है, जिनमें तम्बाकू का उपयोग करने वाले सभी व्यक्तियों को प्रभावी उपचार उपलब्ध कराया जाता है।

भारतीय दंत चिकित्सा परिषद वेबीनार का आयोजन करने की योजना बना रही है, जो सतत दंत चिकित्सा शिक्षा का एक हिस्सा है। वेबीनार वेब–आधारित सेमिनार है, जिसका उद्देश्य भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के अनुमोदित दंत चिकित्सा कॉलेजों के दंत चिकित्सा के छात्रों और संकायों तथा इसके पश्चात् बड़े पैमाने पर दंत चिकित्सकों के ज्ञान और कौशलों को अद्यतन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करना है।

भारतीय दंत चिकित्सा परिषद एक ई–कंसोर्टियम (डिजिटल पुस्तकालय) तैयार कर रही है, जिसमें सभी दंत चिकित्सा कॉलेजों को किफायती तरीके से उपलब्ध कराने हेतु प्रसिद्ध पत्रिकाओं (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) को संकलित किया जा रहा है। इस कंसोर्टियम का उद्देश्य देश में दंत चिकित्सा शिक्षा के स्तर को उठाना है। इससे दंत चिकित्सा कॉलेजों के छात्रों और संकाय सदस्यों, दोनों को ही लाभ होगा।

भारतीय दंत चिकित्सा परिषद ने देश के सभी दंत चिकित्सा कॉलेजों को यह निदेश दिया है कि वे मुख स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 2–4 गाँवों को गोद लें, और यदि, उनके आस–पास कोई जनजातीय क्षेत्र पड़ता है, तो उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

भारतीय दंत चिकित्सा परिषद ने कॉलेजों द्वारा 2018–19 (एमडीएस) से दाखिल किए गए छात्रों का ब्यौरा अपलोड करने के लिए डीसीआई की वेबसाइट पर इस प्रकार उपभोक्ता अनुकूल ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है ताकि कॉलेज बिना किसी भ्रम अथवा त्रुटि के ब्यौरे को तेजी से अपलोड कर सकें। कॉलेजों को छात्र के केवल नीट के रोल नंबर की प्रविष्टि करनी होगी तथा ऑनलाइन मॉड्यूल स्वतः ही संबंधित छात्रों के उस समस्त विवरण को लेकर

भर देगा, जिसे छात्रों द्वारा नीट परीक्षा में भरा गया होगा। कॉलेजों को केवल संबंधित श्रेणी, स्पेशियलिटी और प्रवेश की तारीख का चयन करना होगा। इस मॉड्यूल से विवरण को अपलोड करने में कॉलेजों तथा जाँच करने में डीसीआई के लगने वाले बहुमूल्य समय की बचत होगी तथा डीसीआई की वेबसाइट पर छात्रों के केवल वैध ब्यौरे को अपलोड करने तक कॉलेजों को सीमित किए जाने के कारण इससे होने वाले मुकदमों की संख्या में भी कमी आएगी।

14.5 चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी योजनाएं

देश में चिकित्सा संस्थानों को उन्नत करने एवं और सशक्त करने के विचार से मंत्रालय निम्नलिखित योजनाएं संचालित करता है:–

i) स्नातकोत्तर सीटों में बढ़ोत्तरी हेतु राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ करने एवं उन्नत करने हेतु योजनाएं (चरण I एवं II):

(क) चरण– I

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी। इसके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों को संरचनात्मक विकास हेतु निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना में उत्तर–पूर्व/विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच 90:10 और अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में निधि की भागीदारी होती है। केन्द्र सरकार के हिस्से की 1049.3578 करोड़ रुपये की धनराशि अब तक 21 राज्यों के 72 राज्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों को जारी की जा चुकी है।

(ख) चरण– II

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर की 4000 सीटें और बढ़ाने के उद्देश्य से फरवरी, 2018 में यह स्कीम प्रारंभ की गई थी। बुनियादी अवसंरचना के विकास के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को निधियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर/विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच निधियों की साझेदारी का अनुपात 90:10 है, जबकि अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह अनुपात 60:40 का है। 3 राज्यों में राज्यों के 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए 33.664 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी की राशि जारी की जा चुकी है।

ii) वर्तमान जिला/रेफरल अस्पतालों के साथ सम्बद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु योजना (चरण I एवं II):

(क) चरण I

इस योजना के तहत, सरकारी क्षेत्र में स्नातक पूर्व स्तर पर 5,800 सीटों की अतिरिक्त वार्षिक दाखिला क्षमता सृजित करने के लिए प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 100 एमबीबीएस सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ देश के अल्पसेवित क्षेत्रों में 58 मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव था। इसकाउद्देश्य वर्तमान जिला/रेफरल अस्पतालों के साथ नए मेडिकल कॉलेजों को संबद्ध करते हुए लागत प्रभावी तरीके से अतिरिक्त स्नातक–पूर्व सीटें बढ़ाने के लिए जिला अस्पतालों की वर्तमान अवसंरचना का प्रयोग करने का है। केन्द्र तथा राज्यों के बीच निधि की भागीदारी उत्तर–पूर्व/विशेष श्रेणी वाले राज्यों हेतु 90:10 के अनुपात में होती है और अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में होती है। इस योजना के तहत 58 प्रस्ताव अनुमोदित किए जा चुके थे। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 7457.7 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

(ख) चरण II

देश के प्रत्येक 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में एक मेडिकल कॉलेज तथा प्रत्येक राज्य में कम से कम एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्कीम के चरण–II के तहत केंद्रीय सरकार तथा राज्यों के बीच पूर्वोत्तर/विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में तथा

अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में निधियों की भागीदारी के साथ 8 राज्यों में 24 नए मेडिकल कॉलेजों की आवश्यकता की पहचान की गई है। आज की तारीख तक 17 मेडिकल कॉलेजों को अनुमोदित किया जा चुका है। स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित किए गए मेडिकल कॉलेजों के लिए राज्य सरकारों को 963.40 करोड़ रुपये की निधियां जारी की जा चुकी हैं।

iii) एम.बी.बी.एस. सीटों की भर्ती क्षमता में बढ़ोत्तरी हेतु राज्यों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन:

इस योजना के तहत, देश भर में सरकारी मेडिकल कालेजों में अतिरिक्त 10,000 एम.बी.बी.एससीटोंके सृजन का प्रस्ताव किया गया है। अंतराल विश्लेषण के बाद केन्द्र सरकार द्वारा उपकरण और अवसंरचना के लिए निधि प्रदान की जाएगी। प्रत्येक एम.बी.बी.एस. सीट हेतु लागत की ऊपरी सीमा 1.20 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। केन्द्र तथा राज्यों के बीच निधि की भागीदारी उत्तर–पूर्व/विशेष श्रेणी वाले राज्यों हेतु 90:10 के अनुपात में होती है और अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में होती है। 31.03.2019 तक 22 मेडिकल कॉलेजों के संबंध में एमबीबीएस की 2615 सीटें बढ़ाने के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किए जा चुके हैं। अब तक राज्यों को 1479.07 करोड़ रूपए की निधि जारी की जा चुकी है।

14.6 भारतीय भेषज परिषद् (पी.सी.आई.)

1 भारतीय भेषज परिषद् (पीसीआई), भेषज अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत औषधियों के व्यवसाय एवं व्यवहार को विनियमित करने के लिए गठित एक निकाय है। परिषद् का उद्देश्य भेषज विज्ञानी के रूप में अर्हता हेतु शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना, शैक्षिक मानकों का एक समान कार्यान्वयन, भेषज विज्ञानी अध्ययन पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना का अनुमोदन करना, भारत से बाहर प्रदान की गई अर्हताओं का अनुमोदन करना और/या अनुमोदन वापसी, और भेषज विज्ञानियों के केन्द्रीय रजिस्टर का अनुरक्षण करना है।

2 परिषद द्वारा अनुमोदन पर विचार करने के लिए फार्मेसी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत यथा–अपेक्षित फार्मेसी संस्थानों के लगभग 2690 निरीक्षण किए गए।

3 वर्तमान में, फार्मेसी में डिप्लोमा हेतु 1,18,603 दाखिलों के साथ 1985 संस्थान तथा फार्मेसी में डिग्री हेतु 1,00,676 दाखिलों के साथ 1439 संस्थान भारतीय भेषज परिषद् से तथा 7740 दाखिलों के साथ डी फार्मा के लिए 258 संस्थानों को भारतीय भेषज परिषद से अनुमोदन–प्राप्त हैं।

4 क्रमिक शिक्षा कार्यक्रम (सी.ई.पी.) भेषज विज्ञानियों के ज्ञानकोश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय भेषज परिषद् द्वारा पंजीकृत भेषज विज्ञानियों हेतु क्रमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने के लिए राज्य भेषज परिषद् को अधिकतम 12 पाठ्यक्रमों हेतु प्रति पाठ्यक्रम रु. 25,000/–की वित्तीय सहायता दी जा रही है। भारतीय भेषज परिषद शिक्षकों के लिए क्रमिक शिक्षा कार्यक्रम के संस्थान हेतु भेषज संस्थानों को अनुदान भी देती है।

14.7 सम्बद्ध स्वास्थ्य सेवाओं का विकास

संबद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसाय विधेयक, 2018

भारत में स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली की वर्तमान अवस्था में, अनेक ऐसे संबद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसायी हैं, जो अपरिचित, अविनियमित तथ अल्प उपभोग्य हैं। जबकि स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली में डॉक्टरों, नर्सों तथा अग्र श्रेणी को के कर्मियों (जैसे प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्यकर्मी अथवा आशा, सहायक नर्स मिडवाइफ अथवा एएनएम) के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, वहीं पिछले वर्षों में बहुत से ऐसे कर्मियों की पहचान की गई है, जिनकी

क्षमता का उपयोग ग्रामीण तथा दुर्गम इलाकों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की पहुँच में सुधार लाने तथा बढ़ाने में उपयोग किया जा सकता है।

विधेयक का मसौदा तैयार करते समय, आम जनता, राज्य सरकारों, विभिन्न संबद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करने वाली व्यावसायिक निकायों सहित सभी हितधारकों से परामर्श किया गया था तथा उनके द्वारा दिए गए सुझावों की जाँच की गई थी और उन्हें मसौदे में समुचित रूप से शामिल किया गया था।

31 दिसंबर, 2018 को राज्य सभा में पेश किए गए संबद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसाय विधेयक, 2018 में ऐसे संबद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसायों की 53 प्रकार की 15 व्यापक श्रेणियों के लिए अति महत्त्वपूर्ण केंद्रीय और तदनुसार राज्य परिषदें स्थापित करने की संकल्पना की गई है। विधेयक को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित विभाग की संसदीय स्थायी समिति को जाँच हेतु भेज दिया गया है।

14.7.1 विधेयक के तहत किए गए मुख्य विधान निम्नवत् हैं:

i. केंद्रीय और तदनुसार राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या परिषदों की स्थापना, संबद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या पाठ्यक्रमों में 53 व्यवसायों सहित 15 मुख्य व्यावसायिक श्रेणियां।

ii. विधेयक में केंद्रीय परिषद और राज्य परिषदों की संरचना, संविधान, संघटन और कार्यों का उल्लेख किया गया है जैसे कि नीतियों और मानकों को तैयार करना, व्यावसायिक आचरण का विनियम, उपयोग में लाए जाने वाले रजिस्टरों का रख–रखाव आदि।

iii. केंद्र तथा राज्य परिषदों के तहत व्यावसायिक परामर्श निकाय मामलों की स्वतंत्र रूप से जाँच करेंगे और विशेष मान्यता प्राप्त श्रेणियों से संबंधित सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे।

iv. विधेयक कवर किए गए व्यवसायों में से किसी के भी लिए मौजूदा अन्य किसी भी कानून पर अधिभावी रूप से भी प्रभावी होगा।

v. संबद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों को मान्यता प्रदान करने का उत्तरदायित्व राज्य परिषद का होगा।

vi. कदाचारों को रोकने के लिए विधेयक में अपराध एवं दण्ड के खण्ड को शामिल किया गया है।

vii. विधेयक में केंद्र तथा राज्य सरकारों को नियम बनाने की भी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

viii. केंद्रीय सरकार को परिषद को निदेश देने, विनियम बनाने और अनुसूची में शामिल करने अथवा उसमें संशोधन करने का भी अधिकार है।

14.7.2 संबद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या पाठ्यक्रमों में कौशल आधारित प्रशिक्षण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में लघु अवधि के पाठ्यक्रमों को विकसित करने तथा उनके सुदृढ़ीकरण के लिए संयुक्त कार्रवाई करने हेतु कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

समझौता ज्ञापन के तहत किए जा रहे सहयोग में, इस मंत्रालय ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और उनकी प्रशिक्षण भागीदार एजेंसियों द्वारा विकसित किए गए पाठ्यक्रमों सहित लगभग 80 पाठ्यक्रमों का विश्लेषण किया है। डीजीएचएस और संबद्ध एवं स्वास्थ्य परिचर्या से संबंधित व्यवसायों का प्रतिनिधित्व कर रहे पेशेवर निकायों के साथ गहन चर्चा करने के उपरांत, विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए बारंबारी पाठ्यक्रमों की जाँच की गई तथा कुछ ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों को छोड़कर, जिन्हें लघु अवधि प्रमाणीकरण में चलाना उपयुक्त नहीं है, इस मंत्रालय द्वारा लघु अवधि के 40 कौशल विकास पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचालित किए जाने वाले समस्त कौशल पाठ्यक्रमों के लिए जेनेरिक नीतिगत दिशा–निर्देश भी जारी किए हैं।

इस मंत्रालय ने बेहतर पहुँच को प्रोत्साहित करने तथा लघु अवधि कार्यक्रमों तक पहुँच बनाने के लिए इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

14.7.3 संबद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवरों के लिए डाटाबेस

इस मंत्रालय द्वारा संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों और संस्थानों द्वारा अनंतिम डाटाबेस में स्वैच्छिक नामांकन कराने हेतु एक पोर्टल डिजाइन किया है तथा उसे लाँच किया है। इस डाटाबेस के तैयार होने पर इसे विनियामक निकाय/केंद्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसाय परिषद को सौंपने की संकल्पना की गई है। आशा है कि यह डाटाबेस देश में मौजूदा उस संबद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या से संबंधित कार्मिक शक्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराएगा, जो कई दशकों से अपरिचित रहे हैं तथा जिनका कम उपयोग किया गया है।

14.7.4 रूपान्तरकारी शिक्षा

ऐसा प्रायः कहा जाता है कि छात्रों को जो शिक्षा दी जाती है, उससे उन्हें वह अपेक्षित व्यवहारिक ज्ञान तथा कौशल प्राप्त नहीं होता, जो बाजार तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य से संबंधित व्यवसायों के पाठ्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण एवं उनके मानकीकरण हेतु कार्य करता रहा है ताकि हमारे स्नातक प्रशिक्षण प्राप्त करने के ठीक पश्चात् तकनीकी रूप से अधिक सुदृढ़ तथा कुशल बन सकें। इसमें हमारे छात्रों तथा पेशेवरों को बेहतर तरीके से सुसज्जित होने और वैश्विक प्रवास हेतु अपेक्षाकृत बड़ा जॉब मार्केट खोलने के लिए समर्थकारी बनाने की परिकल्पना भी की गई है।

i. सार्वजनिक स्वास्थ्य में मास्टर्स मॉडल पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार किया गया था तथा उसे सभी विश्वविद्यालयों को परिचालित किया गया था।

ii. आठ संबद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए औपचारिक रूप से मानक जारी कर दिए गए हैं – जिनमें डिप्लोमा से मास्टर की डिग्री तक के सभी विभिन्न स्तरों के 22 विभिन्न पाठ्यक्रम शामिल हैं।

iii. मिडवाइफरी से संबंधित दिशा–निर्देश औपचारिक रूप से जारी कर दिए गए हैं।

iv. चल रहे उपचर्या स्नातक पाठ्यक्रम का सुदृढ़ीकरण और मध्य–स्तर के क्रम का सुदृढ़ीकरण और मध्य–स्तर के प्रदाताओं की सक्षमताओं को डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है– मौजूदा मध्य स्तरीय प्रदाता पाठ्यक्रम की अंतर्वस्तु के संबंध में एचआरएच सैल द्वारा उपचर्या कार्यक्रम के मौजूदा बी.एससी पाठ्यक्रम के साथ विस्तृत विश्लेषण किया गया था। तदनुसार सभी विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए आईएनसी ने कम्पेटेंसी मैट्रिक्स को अपलोड किया है तथा मौजूदा बी.एससी कार्यक्रम की अन्तर्वस्तु को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

v. नर्सों के लिए प्रवेश कार्यक्रम और प्रोत्साहनपरक पाठ्यक्रम विकसित किए गए।

vi. उपचर्या संस्थानों में सेवा–पूर्व सुदृढ़ीकरण करना और संवर्ग पुनर्संरचना का प्रक्रियाधीन होना।

14.7.5 प्रभाग की योजनाएँ

क. राज्यों में राज्य परा–चिकित्सा विज्ञान संस्थानों की स्थापना और परा–चिकित्सा शिक्षा कॉलेजों की स्थापना हेतु योजना।

12वीं योजना के तहत 493.2 करोड़ रुपये की योजना को अनुमोदित किया गया था। इस योजना के तहत, सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 13.7 करोड़ रुपये प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निर्धारित की गई है।

"संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान के राज्य स्तरीय संस्थानों की स्थापना" हेतु व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने संबद्ध स्वास्थ्य योजना पर विचार किया था तथा उक्त योजना के 12वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात् 2019–20 तक विस्तार को अनुमोदित किया था।

13.7 करोड़ रुपये इकाई लागत का विवरण निम्नवत् हैः

क्र.सं.	मदें	अनुमानित व्यय (रुपये करोड़ में)
1.	बुनियादी अवसंरचना, उपस्कर और क्षमता विकास	10.0
	कार्मिक शक्ति विकास	3.0
2	आकस्मिक व्यय और विविध	0.7
कुल		**13.7**

ख. फार्मेसी स्कूल/कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन की योजना

इस योजना के तहत 3.00 करोड़ रुपये तक की आवश्यकता पर आधारित सहायता से स्नातक स्तर के फार्मेसी पाठ्यक्रम

चलाने के लिए डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान को एकमुश्त अनुदान देने का प्रावधान किया गया है योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे के लिए अनुमोदित कर दिया गया है और वित्त वर्ष 2019–20 तक इसे पूरा किया जाना है।

ग. भारतीय भेषज परिषद को सहायता अनुदान

मंत्रालय भेषज परिषद को प्रतिवर्ष 20 लाख रुपये सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराता है।

14.8 भारतीय नर्सिंग परिषद्

भारतीय नर्सिंग परिषद्, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत गठित एक स्वायत्तशासी निकाय है। भारतीय नर्सिंग परिषद् अधिनियम, 1947 द्वारा अधिनियमित, इस परिषद् को पूरे देशमें नर्सिंग शिक्षा के समान मानकों के अनुरक्षण और विनियमन की सांविधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व संगत विधायी फ्रेमवर्क के कार्यक्षेत्र के भीतर शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा व्यवहार हेतु मानदंड एवं मानक तय करने का है।

14.8.1 निरीक्षण

भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा निर्धारित किसी नर्सिंग कार्यक्रम को शुरू करने के लिए प्रथम निरीक्षण, कार्यक्रमों के कैलेंडर के अनुसार प्रस्ताव की प्राप्ति के अनुसार किया जाता है। अनुपयुक्त पाए गए/अनुमति प्राप्त न कर सकने वाले संस्थानों का पुनःनिरीक्षण भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा किया जाता है। विभिन्न नर्सिंग पाठ्यक्रमों में सीटों की बढ़ोत्तरी के लिए भी संस्थान का निरीक्षण किया जाता है। नर्सिंग शिक्षा के मानकों और निर्धारित मापदंडों के अनुपालन की मॉनीटरिंग के लिए आवधिक निरीक्षण किए जाते हैं। जिन संस्थानों को अनुमति प्रदान की जाती हैं उनके नाम वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त संस्थानों के अंतर्गत प्रदर्शित किए जाते हैं।

14.8.2 गंभीर परिचर्या में नर्स प्रैक्टिशनर (एनपीसीसी)

भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा गंभीर परिचर्या में नर्स प्रैक्टिशनर पाठ्यक्रम, जो एक–दो वर्षीय स्नातकोत्तर आवासीय कार्यक्रम है, प्रारम्भ किया गया है। यह मध्य स्तर के पेशेवरों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के कार्यान्वयन हेतु आयोजनाबद्ध की गई मुख्य पहलों में से एक है। 14 संस्थानों ने 1–10 की दाखिला क्षमता के साथ इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किया है। 2017–18 के दौरान 82 संस्थानों ने एनपीसीसी कार्यक्रम प्रारंभ किया है तथा 2018–19 के दौरान 96 संस्थानों द्वारा यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

14.8.3 लाइव रजिस्टर

नर्सों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में एक कम्प्यूटरीकृत 'लाइव रजिस्टर' रखा जाना प्रारम्भ किया गया है, जिसके माध्यम से नर्सों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। वर्तमान में कार्य कर रही नर्सों के बारे में अद्यतन और नवीनतम सूचना इस रजिस्टर में रखी जाएगी और साथ ही इसमें परिषद् की पंजीकरण सेवाएं भी हितधारकों के लिए सुगम बनाई जा सकेंगी। 5,25,318 नर्सों का नामांकन किया जा चुका है।

14.8.4 आय

निरीक्षण/संबद्धता शुल्क एवं प्रकाशन बिक्री की मद में 2017–18 के दौरान हेतु नर्सिंग शिक्षा संस्थानों से 11,00,63,500/– रुपए की राशि प्राप्त की गई है।

14.8.5 भारतीय नर्सिंग परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान

31.03.2019 तक मान्यता–प्राप्त नर्सिंग संस्थानों की पाठ्यक्रम–वार संख्या इस प्रकार है:

क्रम संख्या	कार्यक्रम	नर्सिंग संस्थानों की संख्या
1.	ए.एन.एम.	1904
2.	जी.एन.एम.	3212
3.	बी.एससी. (नर्सिंग)	1968
4.	पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग)	778
5.	एम.एससी. (नर्सिंग)	653
6.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कार्यक्रम	272
7.	गंभीर परिचर्या में नर्स प्रैक्टिशनर	51

14.8.6 पंजीकृत नर्सों एवं प्रसूति सहायकों (मिडवाइफ) की संख्या

31 दिसम्बर, 2017 तक विभिन्न राज्य नर्सिंग परिषदों में 20,49,135 नर्सें, 8,61,114 एएनएम तथा 56,489 स्वास्थ्य निरीक्षक पंजीकृत किए गए हैं।

14.8.7 नर्सिंग में पीएच.डी. हेतु राष्ट्रीय संघ

भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के सहयोजन में विश्व स्वास्थ्य संगठन

(डब्ल्यू.एच.ओ.) की सहायता से नर्सिंग के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नर्सिंग में पीएच.डी. हेतु राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया है। राष्ट्रीय संघ के अंतर्गत नर्सिंग में पीएचडी. हेतु कुल 242 विद्यार्थी पंजीकृत किए जा चुके हैं। राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा एक सौ चार (104) विद्यार्थियों को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है।

14.9 नर्सिंग सेवाओं का विकास

नर्सिंग सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए 2018–19 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं:

14.9.1 नर्सिंग शिक्षा/सेवाओं का सुदृढ़ीकरण

सरकार ने निम्नलिखित केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से नर्सिंग शिक्षा एवं सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के उपाय किए हैं–

(i) नर्सिंग सेवाओं का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण और एएनएम/जीएनएम स्कूलों की स्थापना।

(ii) नर्सिंग सेवाओं का विकास

(iii) प्रथम योजना के अंतर्गत, 27 राज्यों में 112 एएनएम तथा 136 जीएनएम स्कूलों की स्वीकृति दी जा चुकी है और अब तक राज्यों को 950.642 करोड़ रुपए की कुल राशि (2018–19 के लिए जारी 58.712 करोड़ रुपए की राशि सहित) जारी की जा चुकी है। उपर्युक्त योजना के तहत प्रमुख गतिविधियों में से एक गतिविधि के रूप में निर्धारित डोमेन/विषयों में नर्सिंग कार्मिकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। नर्सों के लिए 87 अल्पकालिक पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए नर्सिंग परिषदों और संस्थानों को 1.43811 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए जा चुके हैं।

14.9.2 राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी पोर्टलः

नर्सिंग एवं मिडवाइफरी पोर्टल राज्य नर्सिंग परिषदों एवं समूचे नर्सिंग एवं मिडवाइफरी कैडर हेतु एक ऑनलाइन संसाधन केन्द्र है। इस ऑनलाइन संसाधन केन्द्र का उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का है जो राज्य स्तर पर और केन्द्रीय स्तर (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) पर नर्सों, मिडवाइव्स, राज्य नर्सिंग परिषदों, भारतीय नर्सिंग परिषद्, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा सभी पणधारियों को परस्पर जोड़ सके।

14.9.3 नर्सिंग कार्मिक हेतु राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारः

भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा 12.05.2018 को 35

राष्ट्रपति भवन में फ्लोरंस नाइटेंगल पुरस्कार के पुरस्कार विजेताओं के साथ भारत के माननीय राष्ट्रपति, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

नर्सिंग कार्मिकों को देश में नर्सिंग व्यवसाय में उल्लेखनीय सेवाओं हेतु सर्वोच्च सम्मान के प्रतीक स्वरूप राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र एवं 50,000/– रुपए का नकद पुरस्कार शामिल होता है।

14.10 राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग महाविद्यालय

राजकुमारी अमृतकौर नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना नर्सिंग शिक्षा में मॉडल कार्यक्रमों के विकास के लक्ष्य के साथ 72 वर्ष पहले की गई थी। कॉलेज चार नियमित कार्यक्रम अर्थात् बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग, मास्टर ऑफ नर्सिंग, एम. फिल. तथा नर्सिंग प्रचालित कर रहा है। कॉलेज अल्प–अवधि अनवरत शिक्षा पाठ्यक्रमों का भी संचालन करता है। संस्था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और समवर्गी एजेंसियों के निकट सहयोग से कार्य करती है।

14.10.1 प्रवेश एवं स्नातक शिक्षा

बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग तथा मास्टर ऑफ नर्सिंग में प्रवेश दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद् द्वारा यथा–निर्धारित चयन परीक्षा में प्राप्त मेरिट के आधार पर दिया जाता है।वर्ष 2018 में 19 स्नातकोत्तर नर्सिंग छात्र और 64 स्नातक नर्सिंग छात्र उत्तीर्ण हुए।

14.10.2 छात्रवृत्ति एवं वित्तीय सहायता

बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग के 17 छात्रों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा मेरिट छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

14.10.3 बजट

वर्ष 2018–19 के लिए संस्थान का कुल बजट 17,41,00,000 (17 करोड़ 41 लाख रुपये) है।

14.10.4 शिक्षण एवं शोध

कॉलेज ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन भारतीय नर्सिंग परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार एम.एससी (एच.) नर्सिंग कार्यक्रम के लिए संशोधित पाठ्यक्रम शैक्षणिक वर्ष 2018–19 से लागू किया है। कुल 280 विद्यार्थियों के लिए बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग और मास्टर ऑफ नर्सिंग कार्यक्रम निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार संचालित किए गए।

सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग कार्यक्रम बी.एससी (ऑनर्स) नर्सिंग / एम.एससी पाठ्यवृत्त के अनुसार लागू किया गया था। शहरी एवं ग्रामीण सामुदायिक स्थापनाओं में छात्रों के लिए क्षेत्रगत अनुभव दिया गया। एमसीएच केंद्र और प्रसूति गृह, श्री निवासपुरी (एमसीडी) को शहरी समुदाय स्वास्थ्य क्षेत्र अनुभव देने के लिए चुना गया। आरएफटीसी, छावला का प्रयोग बी.एससी (ऑनर्स) नर्सिंग छात्रों हेतु ग्रामीण क्षेत्रगत अनुभव के लिए किया गया। भारतीय रेड क्रॉस संथली अवेदना सदन, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), वाटर वर्क्स सिवेज डिस्पोजल प्लांट, मदर डेयरी, टीएनएआई, पंडित दीनदयाल शारीरिक विकलांग जन संस्थान, आदि जैसी स्वास्थ्य एजेंसियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने हेतु बी.एससी (ऑनर्स) द्वितीय वर्ष और तृतीयक वर्ष के छात्रों के लिए शैक्षिक दौरों का आयोजन किया गया। वर्ष 2018–19 के दौरान, चिकित्सा सर्जिकल नर्सिंग, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग, मनो चिकित्सा नर्सिंग, प्रसूति एवं प्रसूति संबंधी नर्सिंग और पोषण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।

14.10.5 अनवरत शिक्षा

राष्ट्रीय स्तर के दो अल्पकालिक पाठ्यक्रम नामतः ''नर्सिंग प्रबंधन की उभरती भूमिका'' और ''गुणवत्तापूर्ण रोगी परिचर्या में उपचार भावना'' संचालित किए गए। इन कार्यशालाओं में 60 नर्सिंग कार्मिकों ने प्रतिभागिता की।

14.10.6 ग्रामीण क्षेत्रीय शिक्षण केन्द्र, छावला

विद्यार्थियों को प्रयोजन–उन्मुख ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य अनुभव उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण शैक्षिक केन्द्र की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। इसके अंतर्गत लगभग 22,000 की आबादी आती है तथा यह कॉलेज से 35 किमी दूर स्थित है। विद्यार्थियों तथा आरएचटीसी, नजफगढ़ के सहयोजन से ग्रामीण एकक के स्टाफ द्वारा एमसीएच सेवाओं, परिवार नियोजन, टीकाकरण, परिवार कल्याण सेवाओं, पोषाहार, किशोर बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाता है। यह केन्द्र, राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए ''टीम मूवमेंट प्वाइंट'' के रूप में भी कार्य करता है और इसके तहत 10 गांव आते हैं।

14.10.7 छात्र कल्याण एवं सह–पाठ्य कार्यकलाप

छात्रों को रोगों के शीघ्र पहचान और उपचार द्वारा उनकी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए अपने निजी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और रखरखाव हेतु छात्रों की सहायता के लिए छात्र स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किया गया। छात्रों ने दिल्ली विश्वविद्यालय एवं एसएनए द्वारा आयोजित विभिन्न राज्य स्तरीय गतिविधियों में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते। छात्र पाठ्येतर गतिविधियों के रूप में नियमित एसएनए कार्यकलाप संचालित किए जा रहे हैं। कॉलेज छात्रों के लिए एक बाहरी खेल संकाय के माध्यम से सप्ताह में एक बार खेल कक्षाएं भी चलाता है।

29 अक्तूबर, 2018 से 03 नवंबर, 2018 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह भी मनाया गया, जिसमें छात्रों और अध्यापकों ने भाग लिया।

14.11 एमसीसी/डीजीएचएस द्वारा संचालित कांउसलिंग 15 प्रतिशत अखिल भारतीय स्नातक सीटों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा (यूजी), 2018

i) एमबीबीएस / बीडीएस में अखिल भारतीय कोटे की 15 प्रतिशत सीटें–2018

15% अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए कुल 7,12,575 उम्मीदवारों को अर्हता–प्राप्त घोषित किया गया था। 199 सरकारी चिकित्सा कॉलेजों तथा 33 दंत चिकित्सा कॉलेजों में क्रमशः 4061 एमबीबीएस सीटों तथा 329 बीडीएस सीटों के संबंध में आबंटन किया गया था।शैक्षिक वर्ष 2018–19 हेतु सफल उम्मीदवारों को कॉलेज तथा कोर्स का आबंटन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा संचालित दो चक्र की ऑन–लाइन काउंसलिंग से उनकी रैंक के अनुसार किया गया। एमबीबीएस / बीडीएस सीटों के 15% अखिल भारतीय कोटा हेतु संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया 23.07.2018 तक सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई।

क्रम संख्या	उम्मीदवारों की श्रेणी	एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध सीटें	बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध सीटें	कुल
1.	अनारक्षित उम्मीदवार	2934	236	3170
2.	अनारक्षित शारीरिक दिव्यांग उम्मीदवार	148	13	161
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार	66	7	73
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग के शारीरिक दिव्यांग उम्मीदवार	3	0	3
5.	अनुसूचित जाति के उम्मीदवार	579	47	626
6.	अनुसूचित जाति के शारीरिक दिव्यांग उम्मीदवार	29	1	30
7.	अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार	288	24	312
8.	अनुसूचित जनजाति के शारीरिक दिव्यांग उम्मीदवार	14	1	15
	कुल	**4061**	**329**	**4390**

- काउंसिलिंग के लिए अर्हता–प्राप्त कुल उम्मीदवार –712575
- कुल पंजीकृत उम्मीदवार – 128234

ii मानद / केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की एमबीबीएस / बीडीएस सीटें– 2018

मानद / केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु कुल 712575 उम्मीदवारों को अर्हता–प्राप्त घोषित किया गया। सम–विश्वविद्यालयों के 41 चिकित्सा कॉलेजों तथा 31 दंत चिकित्सा कॉलेजों में क्रमशः 7251 एमबीबीएस सीटों तथा 3197 बीडीएस सीटों के संबंध में आबंटन किया गया (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के 3 चिकित्सा कॉलेजों तथा 2 डेंटल कॉलेजों में क्रमशः 181 एमबीबीएस सीटों तथा 69 बीडीएस सीटों के संबंध में आबंटन किया गया)। शैक्षिक वर्ष 2018–19 हेतु सफल उम्मीदवारों को कॉलेज तथा कोर्स का आबंटन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा संचालित दो चक्र की ऑन–लाइन काउंसलिंग से उनकी रैंक के अनुसार किया गया। मानद / केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के मेडिकल / डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस / बीडीएस सीटों के आवंटन की संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया 28 / 08 / 2018 तक सफलतापूर्वक पूरी हो गई थी।

क्रम संख्या	उम्मीदवारों की श्रेणी	एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध सीटें	बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध सीटें	कुल
1.	अनारक्षित उम्मीदवार	6777	3093	9870
2.	अनारक्षित शारीरिक दिव्यांग उम्मीदवार	32	4	36
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार	230	28	258
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग के शारीरिक दिव्यांग उम्मीदवार	12	0	12
5.	अनुसूचित जाति के उम्मीदवार	128	15	143
6.	अनुसूचित जाति के शारीरिक दिव्यांग उम्मीदवार	4	0	4
7.	अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार	66	7	73
8.	अनुसूचित जनजाति के शारीरिक दिव्यांग उम्मीदवार	2	0	2
	कुल	**7251**	**3147**	**10398**

- काउंसिलिंग के लिए अर्हता–प्राप्त कुल उम्मीदवार –712575
- कुल पंजीकृत उम्मीदवार –12834

iii) एम.सीएच./डी.एम. (सुपर स्पेशियलिटी) सीटें–2018

देश भर में 135 मेडिकल कॉलेजों में 2018 की एम.सीएच./डी.एम. (सुपर स्पेशिएलिटी) सीटों पर प्रवेश के लिए समान काउंसिलिंग संचालित करने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की चिकित्सा शिक्षा काउंसिलिंग समिति को सौंपी गई थी। शैक्षिक वर्ष 2018–19 के दौरान एम.सीएच./डी.एम. (सुपर स्पेशियालिटी) पाठ्यक्रमों में कुल 2286 मान्यता प्राप्त/अनुमोदित सीटें थीं। सफल उम्मीदवारों का आबंटन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा ऑन–लाइन काउंसलिंग से किया गया। सुपर स्पेशिएलिटी – 2018 की समान काउंसिलिंग की संपूर्ण आबंटन प्रक्रिया दिनांक 31.08.2018 तक सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई।

कम संख्या	उम्मीदवारों की श्रेणी	चिकित्सा शाखा में उपलब्ध सीटें	कुल
1.	कुल उपलब्ध सीटें	2286	2286
कुल		**2286**	**2286**

- काउंसिलिंग के लिए अर्हता–प्राप्त कुल उम्मीदवार – 10143
- कुल पंजीकृत उम्मीदवार – 4019

14.12 एमसीसी/डीजीएचएस द्वारा संचालित काउंसलिंग 50% अखिल भारतीय पीजी सीट–2018 में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता–सह–परीक्षा प्रवेश परीक्षा (पीजी) - 2018

शैक्षिक वर्ष 2018–19 हेतु 50% अखिल भारतीय पीजी कोटा के तहत एमडी/एमएस तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 8826 पंजीकृत/मान्यता–प्राप्त सीटें थीं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा ऑन–लाइन काउंसलिंग के माध्यम से सफल उम्मीदवारों को सीटों का आबंटन किया गया। 50% अखिल भारतीय पीजी कोटा काउंसलिंग–2018 की संपूर्ण आबंटन प्रक्रिया दिनांक 31.05.2018 तक सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई थी।

क. सं	उम्मीदवारों की श्रेणी	मेडिकल शाखा में उपलब्ध सीटें	दंत चिकित्सा शाखा में उपलब्ध सीटें	कुल
1.	अनारक्षित उम्मीदवार	5675	166	5841
2.	अनारक्षित शारीरिक दिव्यांग उम्मीदवार	281	08	289
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार	220	06	226
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग शारीरिक दिव्यांग उम्मीदवार	11	0	11
5.	अनुसूचित जाति उम्मीदवार	1138	34	1172
6.	अनुसूचित जाति के शारीरिक दिव्यांग उम्मीदवार	53	1	54
7.	अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार	569	17	586
8.	अनुसूचित जनजाति शारीरिक दिव्यांग उम्मीदवार	25	1	26
	कुल	**7972**	**233**	**8205**

- काउंसिलिंग के लिए अर्हता–प्राप्त कुल उम्मीदवार – 71103
- कुल पंजीकृत उम्मीदवार –34366

14.13 केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में धारा 10 (क) के तहत डीजीएचएस द्वारा स्नातकोत्तर और सुपरस्पेशियलिटी पाठयक्रम प्रारंभ किए गए थे)

- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमः

1. **सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली**
   - एमडी मनश्चिकित्सा (पीएसवाईवाई)
2. **एनईआईजीआरएचआईएमएस, शिलांग**
   - एमडी त्वचा रोग विज्ञान (डर्म)
   - एमडी फार्माकोलोजी (फार्म)
   - एमएस नेत्र रोग विज्ञान (ओपी)
   - एमएस आटोरिनोलेरिंगोलोजी (ईएनटी)
3. **डा. आर.एम.एल. अस्पताल, नई दिल्ली**
   - एमडी जीव रसायन विज्ञान

- **सुपर–स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम**

1. **सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली**
   - डीएम स्नायु रोग विज्ञान (डीएमएनयू)
2. **डा. आर.एम.एल. अस्पताल, नई दिल्ली**
   - एमसीएच बाल चिकित्सा सर्जरी (पीएसजीवाई)
   - डीएम नवजात शिशु विज्ञान (डीएमएनओ)

14.14 50 प्रतिशत अखिल भारतीय पीजी सीट 2018 के तहत एमडीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नेशनल एलिजीबिलिटी-कम-एन्टरेंस टेस्ट (पीजी) 2018- एमसीसी/डीजीएचएस द्वारा संचालित काउंसलिंग

50% अखिल भारतीय कोटा–2018 के तहत एमडीएस सीट पाठ्यक्रमों में 261 अनुमोदित/मान्यता–प्राप्त सीटें थीं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा ऑन–लाइन परामर्श के द्वारा पात्र/अर्हता–प्राप्त उम्मीदवारों को सीटों का आबंटन किया गया। 50% अखिल भारतीय पीजी कोटा काउंसलिंग–2018 की समूची आबंटन प्रक्रिया 31.05.2018 तक सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई।

- ➢ काउंसिलिंग के लिए कुल अर्हता–प्राप्त उम्मीदवारः 19184
- ➢ कुल पंजीकृत उम्मीदवारः 4505

14.15 केन्द्रीय पूल से चिकित्सा/दंत चिकित्सा सीटों का आबंटन

(i) एमबीबीएस तथा बीडीएस सीटें:

मेडिकल कॉलेजों वाले विभिन्न राज्यों तथा कुछ अन्य आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थानों से स्वैच्छिक योगदान प्राप्त करके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एमबीबीएस तथा बीडीएस सीटों का एक केन्द्रीय पूल रखा जाता है। शैक्षिक वर्ष 2018–19 में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा चिकित्सा संस्थानों द्वारा एमबीबीएस की 227 तथा बीडीएस की 40 सीटों का योगदान दिया गया। ये सीटें केन्द्रीय पूल के लाभार्थियों अर्थात् राज्यों/संघ शासित राज्यों, जिनके कि अपने चिकित्सा/दंत चिकित्सा कॉलेज नहीं हैं, रक्षा मंत्रालय (रक्षा कार्मिकों के बच्चों हेतु), गृह मंत्रालय (अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों तथा आतंकवाद पीड़ित सामान्य नागरिकों के बच्चों हेतु), मंत्रिमंडल सचिवालय, विदेश मंत्रालय (राजनयिक/द्विपक्षीय प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए तथा विदेशों में भारतीय मिशनों में सेवारत भारतीय कर्मचारियों के बच्चों हेतु), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (तिब्बती शरणार्थियों हेतु) तथा भारतीय बाल कल्याण परिषद् (राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता बच्चों हेतु) में आबंटित की गईं।

(ii) विदेशी छात्रों हेतु स्नातकोत्तर मेडिकल सीटें:

चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में विदेशी छात्रों हेतु एक कैलेंडर वर्ष में पांच पी.जी. मेडिकल सीटें आरक्षित हैं। इन सीटों पर विदेशी छात्रों को विदेश मंत्रालय के परामर्श से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित किया जाता है। वर्ष 2018–19 के दौरान 5 सीटें नेपाल के उम्मीदवारों को आबंटित की गईं।

14.16 राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई)

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी की एकशाखा के रूप में, वर्ष 1975 में अस्तित्व में आया था और वर्ष 1976 से राष्ट्रीय स्तर पर स्नातकोत्तर चिकित्सा परीक्षाओं का संचालन करता आ रहा है। स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा में शिक्षण पद्धतियां तैयार करने और अखिल भारतीय आधार पर आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च मानकों वाली स्नातकोत्तर परीक्षाओं का संचालन करने, पात्रता की बुनियादी प्रशिक्षण अपेक्षाएं तय करने के उद्देश्य से बोर्ड को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 01.03.1982 से स्वायत्त संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया था।

बोर्ड, वर्ष में दो बार प्राथमिक तथा अंतिम परीक्षाएं आयोजित करता है। वर्ष 2017–18 के दौरान, सीईटी परीक्षा में 39291 अभ्यर्थियों ने भाग लिया जिनमें से 10211 ने काउंसिलिंग में भाग लिया। 72 स्पेशियलिटीज में डीएनबी अंतिम परीक्षाएं आयोजित की गईं, जिनमें कुल 7676 अभ्यर्थियों में से 5141 ने डीएनबी अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की।

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री की उपस्थिति में दिनांक 21.09.2018 को विज्ञान भवन में एनबीई के 19वें दीक्षांत और पुरस्कार वितरण समारोह में उपाधियां और पुरस्कार प्रदान किए।

बोर्ड 17 उप–विशेषज्ञताओं में फैलोशिप कार्यक्रम भी संचालित कर रहा है। रिपोर्ट अवधि के दौरान, 1722 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया और 1525 अभ्यर्थियों ने फैलोशिप प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 189 अभ्यर्थियों ने फैलोशिप एक्जिट परीक्षा उत्तीर्ण की।

Shri M. Venkaiah Naidu
Smt. Anupriya Patel

बोर्ड की प्रत्यायन समिति, बोर्ड परीक्षाओं की अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के उद्देश्य हेतु संस्थानों/अस्पतालों को मान्यता देता है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड से प्रत्यायित सीटों की कुल संख्या 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए 7245 रही हैं (राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड से प्रत्यायित पोस्ट डिप्लोमा सीटें भी शामिल)। एनबीई को भी एमडी/एमएस तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमापाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय स्नातकोत्तर मेडिकल पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी–पीजी) और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी–एमडीएस) के संचालन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने देश भर के 129 शहरों में कम्प्यूटर–आधारित परीक्षा का भी आयोजन किया। एनईईटी–पीजी ऑनलाइन परीक्षा में कुल 128917 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, जिनमें से 91137 अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और एनईईटी–एमडीएस ऑनलाइन परीक्षा में कुल 22650 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए जिनमें से 19184 अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी–एसएस) का भी आयोजन किया। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी–एसएस) में कुल 13347 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, जिनमें से 6709 अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए।

विदेश में चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए जांच परीक्षा विनियम, 2002 के तहत जांच परीक्षा आयोजित करने का कार्य भारत सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को सौंपा है। वर्ष 2017–18 के दौरान, 15949 अभ्यर्थियों ने एफएमजी परीक्षा में भाग लिया और उनमें से 1781 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे।

14.17 राष्ट्रीय आर्युविज्ञान अकादमी (भारत)

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत) की स्थापना भारत में चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में योग्यता के संवर्द्धन के प्रयोजन से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 का XXI के तहत 'इंडियन एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसिज़' नामक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 21 अप्रैल, 1961 को की गई थी। इस अकादमी को चिकित्सा एवं सम्बद्ध स्वास्थ्य विज्ञान पेशेवरों के लिए क्रमिक चिकित्सा शिक्षा हेतु नोडल एजेंसी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और यह संस्था राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति एवं नियोजन के अनेक मामलों में सरकार को सलाह देती है।

अपनी स्थापना के बाद से, अकादमी ने चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान की है और उन्हें मेधावी बायो–मेडिकल और स्वास्थ्य वैज्ञानिकों को फैलोशिप और सदस्यता प्रदान की है। अध्येताओं और सदस्यों का चयन 'पीयर रिव्यू' प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञों के सलाहकार पैनल और क्रेडेनशियल समिति द्वारा स्क्रीनिंग, परिषद् द्वारा और सभी अध्येताओं द्वारा मतदान के माध्यम से चुनाव की प्रक्रिया शामिल है। मार्च, 2019 तक अकादमी ने अपने रोल पर, 3 मानद फैलो, अकादमी के 919 फेलो (एफएएमएस), अकादमी के 2138 सदस्य (एमएएमएस) चुनाव द्वारा और अकादमी के 6609 सदस्य (एमएनएएमएस) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की डीएनबी परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर हैं। इस वर्ष, अकादमी ने 8 वैज्ञानिक सीएमई कार्यक्रमों का आयोजन किया और वर्ष 2018–19 के दौरान आर्थिक सहायता के लिए 59.60 लाख रुपये स्वीकृत किए।

अकादमी उन्नत विनिमय विधियों और तकनीकों में प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्रों में कनिष्ठ वैज्ञानिकों को चुनकर और भेजकर वैज्ञानिक विनिमय कार्यक्रम के तहत मानव संसाधन विकास की दिशा में भी योगदान देती है। प्रत्येक वर्ष, एनएएमएस वार्षिक सम्मेलन के दौरान, वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन देश की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के लिए बहुत प्रासंगिकता के विषय पर किया जाता है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, अकादमी को 180.00 लाख रुपये का सहायता अनुदान जारी किया गया।

अनुलग्नक–I

मेडिकल कॉलेजों का राज्य–वार विवरण (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार)

क. सं.	राज्य	सरकारी		निजी		कुल	
		कॉलेज की संख्या	सीटें	कॉलेज की संख्या	सीटें	कॉलेज की संख्या	सीटें
1	आंध्र प्रदेश	12	1900	19	2950	31	4850
2	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	100	0	0	1	100
3	असम	6	726	0	0	6	726
4	अरुणाचल प्रदेश	1	50	0	0	1	50
5	बिहार	9	950	3	350	12	1300
6	चंडीगढ़	1	100	0	0	1	100
7	छत्तीसगढ़	6	650	3	450	9	1100
8	दिल्ली	6	900	2	200	8	1100
9	गोवा	1	150	0	0	1	150
10	गुजरात	17	3050	10	1450	27	4500
11	हरियाणा	5	600	7	1000	12	1600
12	हिमाचल प्रदेश	6	600	1	150	7	750
13	जम्मू एवं कश्मीर	3	400	1	100	4	500
14	झारखंड	3	350	0	0	3	350
15	कर्नाटक	18	2650	39	6195	57	8845
16	केरल	10	1350	24	2800	34	4150
17	मध्य प्रदेश	10	1300	12	1800	22	3100
18	महाराष्ट्र	23	3240	28	4270	51	7510
19	मणिपुर	2	200	0	0	2	200
20	मेघालय	1	50	0	0	1	50
21	मिजोरम	1	100	0	0	1	100
22	ओडिशा	7	1050	4	500	11	1550
23	पांडिचेरी	1	150	7	1050	8	1200
24	पंजाब	3	500	5	475	8	975
25	राजस्थान	13	1950	8	1300	21	3250
26	सिक्किम	0	0	1	100	1	100
27	तमिलनाडु	25	3250	24	3700	49	6950
28	तेलंगाना	8	1250	19	2800	27	4050
29	त्रिपुरा	2	200	0	0	2	200
30	उत्तर प्रदेश	17	2199	31	4300	48	6499
31	उत्तराखंड	3	350	3	450	6	800
32	पश्चिम बंगाल	14	2150	5	700	19	2850
33	*एम्स**	9	807	0	0	9	807
34	*जिपमेर**	1	200	0	0	1	200
	कुल	**245**	**33472**	**256**	**37090**	**501**	**70562**

अनुलग्नक–II

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार देश में उपलब्ध कुल स्नातकोत्तर सीटों का राज्य–वार विवरण (शैक्षिक वर्ष 2019–20)

क.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एमडी/एमएस	एमसीएच	डीएम	डिप्लोमा	कुल
1	आंध्र प्रदेश	1776	47	49	256	2128
2	असम	573	13	10	55	651
3	बिहार	603	10	4	74	691
4	चंडीगढ़	448	52	46	0	546
5	छत्तीसगढ़	100	0	0	21	121
6	दिल्ली	1812	209	408	124	2553
7	गोवा	98	2	0	22	122
8	गुजरात	1741	55	41	281	2118
9	हरियाणा	507	12	6	49	574
10	हिमाचल प्रदेश	275	2	2	13	292
11	जम्मू एवं कश्मीर	392	12	14	69	487
12	झारखंड	142	1	0	72	215
13	कर्नाटक	3390	118	131	669	4308
14	केरल	1091	92	101	226	1510
15	मध्य प्रदेश	909	17	7	125	1058
16	महाराष्ट्र	3377	136	112	521	4146
17	मणिपुर	198	3	0	6	207
18	मेघालय	20	0	2	0	22
19	ओडिशा	682	23	24	3	732
20	पुद्दुचेरी	604	23	21	39	687
21	पंजाब	633	9	14	61	717
22	राजस्थान	1378	63	53	56	1550
23	सिक्किम	22	0	0	0	22
24	तमिलनाडु	2581	190	167	480	3418
25	तेलंगाना	1482	72	74	223	1851
25	त्रिपुरा	68	0	0	0	68
26	उत्तर प्रदेश	1897	64	88	222	2271
27	उत्तराखंड	250	0	0	15	265
28	पश्चिम बंगाल	1287	69	78	162	1596
	कुल	**28336**	**1294**	**1452**	**3844**	**34926**